

दिनांक 01/6/23 । पत्रावली राज्य सरकार व
राजस्व मण्डल को द्वारा जारी आदेशानुसार नियत
तिथि से पूर्व तलब की गई। परन्तु पक्षकारों को
नोटिस जारी तिथि से अग्रे पत्रावली अभिभाषकता
को सूचित किया जाकर पत्रावली तिथि को पूर्व
दिनांक 5/6/23 को पेश है।
उपखण्ड अधिकारी
अराई

दिनांक 05/6/23 कोर्ट कैम्प लाखा
पक्षकारान उप./अलु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
अलु./पत्रावली कोर्ट कैम्प लाखा में पेश हुई
पक्षकारान में समझाईश की गई। परन्तु राजीनामा
नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबन्धित न्यायालय में
नियमित कार्यवाही हेतु पुनः दिनांक 21/7/2023
को पेश है।
उपखण्ड अधिकारी
अराई

21.07.23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित।
P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 04.08.23 को पेश हो।

01/NO- 40/2020 उनवान माध्यु प/३ दीतर

04/8/2023

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वाणिग
अनुपस्थित वकील वादी को रुक रुक कर शाम 6:10
PM तक तीन बार आवाजे लगवाई गई किन्तु वे
अनुपस्थित रहे अतः वादी का कसूर ही स्थाप
न हुआ। अतः पत्रावली में खारिज किया जाय
गया। पत्रावली फाइनल शुद्ध होकर नम्बर 03
की

उपखण्ड अधिकारी
(अराई)